



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30112023-250328
CG-DL-E-30112023-250328

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 689]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 30, 2023/अग्रहायण 9, 1945

No. 689]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 30, 2023/AGRAHAYANA 9, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2023

संख्या 63/2023-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 872(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 22/2022-सीमाशुल्क, दिनांक 30 अप्रैल, 2022, जिसे सा.का.नि. 328 (अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी I में, क्रम संख्या 1271 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"1271 क	2207 10 12	सभी वस्तुएं	95";

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/199/2023-टीओ(टीआरयू-1)]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

नोट:- मूल अधिसूचना संख्या 22/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 30 अप्रैल, 2022, को सा.का.नि. 328(अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 20/2023-सीमा शुल्क, दिनांक 31 मार्च, 2023, जिसे सा.का.नि. 252 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2023, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2023

No. 63/2023-Customs

G.S.R. 872(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 22/2022-Customs, dated the 30th April, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 328(E), dated the 30th April, 2022, namely:-

In the said notification, in the TABLE I, after S. No. 1271 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"1271A.	2207 10 12	All goods	95";

[F. No. CBIC-190354/199/2023-TO(TRU-I)]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

Note: - The principal notification No. 22/2022-Customs, dated the 30th April, 2022, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 328(E), dated the 30th April, 2022, and was last amended *vide* notification No. 20/2023-Customs, dated the 31st March, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 252(E), dated the 31st March, 2023.